



# छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

== अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना ==

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, विनियम 119 उपविनियम (2) तथा (3) एवं विनियम 148 के उपविनियम (2) तथा (3) के अंतर्गत मण्डल द्वारा संचालित परीक्षाओं में उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति / पुनर्गणना (अंको के सत्यापन) / पुनर्मूल्यांकन हेतु अभ्यर्थी ऐसा समझता है कि उसका उत्तरपुस्तिकाओं की अंको की गणना / मूल्यांकन ठीक प्रकार से नहीं हुआ है तो परीक्षाफल घोषित दिनांक के 20 दिवस के अन्दर आवेदन कर सकता है। इस हेतु आवेदन पत्र मण्डल मुख्यालय, रायपुर एवं जिला मुख्यालय के समन्वय संस्था से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकेगे।

## पुनर्गणना / पुनर्मूल्यांकन / उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति अवलोकन की प्रक्रिया

### 1. पुनर्गणना / पुनर्मूल्यांकन (मुख्य एवं पूरक परीक्षा )

- 1.(a) पुनर्गणना हेतु प्रति विषय रू0 100/- (सौ रूपये) एवं पुनर्मूल्यांकन हेतु प्रति विषय रू0 500/- (पांच सौ रूपये) शुल्क निर्धारित हैं। छात्र चाहे तो सभी विषयों में पुनर्गणना / पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकता है।
- 1.(b) प्रत्येक उत्तरपुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन दो अलग-अलग मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया जायेगा। दोनो मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा दिए गए अंको का औसत निकाला जायेगा। यह औसत यदि पूर्व में प्राप्त अंक से 01 अंक या उससे अधिक अंक की कमी / वृद्धि होने पर कमी / वृद्धि मान्य किया जावेगा। और छात्रों को इस संबंध में अपना घोषणा पत्र देना होगा की पुनर्मूल्यांकन में जो भी अंको में कमी / वृद्धि होगी उसे मान्य होगा।
- 1.(c) पुनर्मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप पूर्व अंको में से 10 प्रतिशत या अधिक अंको की वृद्धि होती है तो केवल , पुनर्मूल्यांकन के लिए ली गई शुल्क - प्रति विषय रू. 500/- परीक्षार्थी को वापस कर दी जावेगी ।
- 1.(d) पुनर्गणना व पुनर्मूल्यांकन में विषयों के प्राप्तांको में यदि कमी या वृद्धि की स्थिति उत्पन्न होती है, तो तदनुसार संशोधित अंकसूची छात्र को निर्गमित की जायेगी।

2. **उत्तरपुस्तिका अवलोकन :-**

अभ्यर्थी उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त करने का प्रावधान है। जिसके तहत छात्र को परीक्षफल घोषित होने के 20 दिवस के अंदर निर्धारित प्रारूप में प्रति विषय रु. 500/- (पांच सौ रूपये) शुल्क के साथ आवेदन करना होगा। यह आवेदन पत्र मण्डल कार्यालय, रायपुर, एवं प्रत्येक जिला मुख्यालय के समन्वय संस्था से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क के साथ मण्डल मुख्यालय, रायपुर एवं जिला मुख्यालय के समन्वय संस्था में जमा करेंगे। छात्र को उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति, आवेदन पत्र में दिये गए पते पर रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जायेगी। उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन किया जा सकता है।

➤ **विशेष निर्देश :-** छात्र उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति या पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन हेतु केवल एक बार आवेदन कर सकता है। अतः छात्र पूर्व में ही भली-भांति विचार कर अति आवश्यक प्रक्रिया हेतु ही आवेदन करें।

1. उत्तरपुस्तिका छायाप्रति अवलोकन/पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन पत्र मण्डल मुख्यालय, रायपुर एवं जिला मुख्यालय के समन्वय संस्थाओं से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं, और निर्धारित शुल्क के साथ वही जमा भी कर सकते हैं।
2. अभ्यर्थी को पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन के आवेदन पत्र के साथ मूल अंकसूची जमा करना अनिवार्य है।
3. पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन उपरांत अंको में कमी/वृद्धि मान्य किया जावेगा। परीक्षार्थी को यह स्वीकार करना होगा। इस संबंध में अपना घोषणा पत्र भी देना होगा।

सचिव

छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल  
रायपुर



# छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

## उत्तरपुस्तिका छायाप्रति हेतु आवेदन पत्र

( Application form for the Answer sheet/sheet,s )  
(Under Board's Regulation 119,148)

हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा वर्ष 2011

1. नाम .....
2. अनुक्रमांक( Roll No ) .....
3. परीक्षा का नाम .....
4. मुख्य/पूरक.....
5. परीक्षा वर्ष .....
6. केन्द्र कमांक.....
7. केन्द्र का नाम नाम.....
8. संस्था का नाम .....

मैं मण्डल के स्थापित नियमों के तहत अपने कुल .....निम्नांकित विषय/विषयों की उत्तरपुस्तिका/उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रति का अवलोकन करना चाहता/चाहती हूँ।

स.क्र.	विषय	प्राप्तांक
01		
02		
03		
04		
05		
06		

उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्राप्ति हेतु आवश्यक शुल्क जमा कर रहा/रही हूँ।

उ०पु० की छायाप्रति अवलोकन हेतु शुल्क सहित  
आवेदन पत्र की राशि

उत्तरपुस्तिका के विषयों की संख्या:.....

आवेदक का हस्ताक्षर

प्रति विषय रू. 500 की दर से 500X----= ----रू.

नाम .....

कुल राशि .....

पिता/पालक का नाम .....

बैंक ड्राफ्ट कमांक .....

ग्राम/नगर .....

बैंक का नाम .....

पो०आ०.....तहसील.....

.....


जिला .....छ०ग०

पिन कोड नं.....

( कृपया आवश्यक निर्देश हेतु पृष्ठ भाग का अवलोकन करें।)

## उत्तरपुस्तिका छायाप्रति अवलोकन हेतु निर्धारित प्रक्रिया

1. अभ्यार्थी परीक्षाफल घोषित होने के 20 दिवस के अंदर उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति के लिये आवेदन कर सकते हैं।
2. उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति हेतु निर्धारित शुल्क प्राप्त होने पर उ0पु0 की छायाप्रति छात्र के पते पर प्रेषित की जावेगी एवं उ0पु0 मिलने के 15 दिवस के अंदर पुर्नमूल्यांकन हेतु प्रति विषय 500/-रु. के साथ आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
3. उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति हेतु प्रति विषय शुल्क रू0 500/- (पांच सौ ) निर्धारित है।
4. आवेदक अपना आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर, एवं जिले के समन्वय संस्था में निर्धारित शुल्क के साथ जमा करेंगे।

  
सचिव

छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल  
रायपुर



# छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

पुनर्गणना (अंको का सत्यापन) हेतु आवेदन पत्र

(Application form for Retotaling ( Verification of Marks))

(Board Regulation - 119,148)

हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा वर्ष 2011

1. नाम .....
2. अनुक्रमांक (Roll No) .....
3. परीक्षा का नाम .....
4. मुख्य/पूरक .....
5. परीक्षा वर्ष .....
6. केन्द्र क्रमांक .....
7. केन्द्र का नाम नाम .....
8. संस्था का नाम .....

मैं निम्नांकित विषयो में पुनर्गणना कराना चाहता/चाहती हूँ। मण्डल नियमानुसार आवश्यक शुल्क संलग्न है। कृपया मेरे निम्नांकित कुल .....विषयों हेतु पुनर्गणना कराने का कष्ट करें।

( पुनर्गणना हेतु विषय )

स.क्रं.	विषय	प्राप्तांक	
		सैद्धांतिक	प्रायोगिक
01.			
02.			
03.			
04.			
05.			
06.			

पुनर्गणना हेतु विषय

कुल विषयो की संख्या.....  
प्रति विषय रु. 100/- की दर से 100 X =.....  
कुल राशि -.....  
बैंक ड्राफ्ट क्रमांक.....  
बैंक का नाम .....

पत्र व्यवहार हेतु पता

नाम .....

पिता/पालक का नाम .....

ग्राम/नगर .....

पो0आ0.....तह0.....

जिला .....छ0ग0

पिन कोड नं.-.....

आवेदक का हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं .....घोषणा करता/करती हूँ की मैंने उरोक्तानुसार विषयो में पुनर्गणना हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। मुझे इस बात का पूर्ण संज्ञान है, कि पुनर्गणना के पश्चात् मेरे अंको में कमी भी आ सकती है, तदनुसार पुनर्गणना पश्चात् विषयों के अंको मे कमी/वृद्धि/अप्रभावित होने की जैसी भी स्थिति बनेगी वह मुझे स्वीकार्य होगी। इस हेतु मैं अपनी मूल अंकसूची आवेदन के साथ संलग्न कर रहा/रही हूँ।


घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

( कृपया आवश्यक निर्देश हेतु पृष्ठ भाग का अवलोकन करें।)

## अत्यंत महत्वपूर्ण निर्देश

### कृपया निम्न निर्देशो को पढ़ने एवं भली-भांति समझने के उपरांत ही आवेदन पत्र भरें

1. अभ्यर्थी जिन विषयों के पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन कराना चाहते हैं, केवल उन्हीं विषयों के नाम एवं प्राप्तांक संबंधित कालम में अंकित किया जावे।
2. अभ्यर्थी को पुनर्गणना / पुनर्मूल्यांकन के आवेदन पत्र के साथ मूल अंकसूची जमा करना अनिवार्य है।
3. पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन उपरांत अंको में कमी/वृद्धि मान्य किया जावेगा। परीक्षार्थी को यह स्वीकार करना होगा। इस संबंध में अपना घोषणा पत्र भी देना होगा।
4. पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन/छायाप्रति के आवेदन पत्र मण्डल मुख्यालय रायपुर, एवं जिला मुख्यालय के समन्वय संस्था में निःशुल्क प्राप्त किये जा सकेंगे।
5. भरे हुए आवेदन पत्र मण्डल मुख्यालय रायपुर एवं जिला मुख्यालय के समन्वय संस्था में निर्धारित शुल्क के साथ जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ दिये गये घोषण पत्र की पूर्ति अनिवार्य रूप से करें।
6. पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन के परिणाम संबंधित छात्र को पंजीकृत डाक द्वारा छात्र के द्वारा निर्दिष्ट निवास के पते पर प्रेषित किया जायेगा।
7. निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जा सकेगा।
8. अपूर्ण या बिना शुल्क अथवा अपूर्ण जानकारी के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप अंको में परिवर्तन होने पर संशोधित नई अंकसूची संस्था प्राचार्य को भेजी जावेगी।
10. यदि आपको पूरक की पात्रता है तो पूरक का आवेदन पत्र सर्वप्रथम भर कर निर्देशानुसार जमा करें। पूरक का आवेदन पत्र भरने हेतु (अंको के सत्यापन) पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन के परिणाम का इंतजार न किया जाय।
11. पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन सभी विषयो में कराया जा सकेगा।

  
सचिव  
छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल  
रायपुर



# छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

## पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन पत्र

(Application form for Revaluation)

(Board Regulation - 119,148)

हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा वर्ष 2011

1. नाम .....
2. अनुक्रमांक (Roll No) .....
3. परीक्षा का नाम .....
4. मुख्य/पूरक .....
5. परीक्षा वर्ष .....
6. केन्द्र क्रमांक .....
7. केन्द्र का नाम नाम .....
8. संस्था का नाम .....

मैं निम्नांकित विषयों में पुनर्मूल्यांकन कराना चाहता/चाहती हूँ। मण्डल नियमानुसार आवश्यक शुल्क संलग्न है। कृपया मेरे निम्नांकित कुल .....विषयों हेतु पुनर्मूल्यांकन कराने का कष्ट करें।

### ( पुनर्मूल्यांकन हेतु विषय )

स.क्रं.	विषय	प्राप्तांक	
		सैद्धांतिक	प्रायोगिक
01.			
02.			
03.			
04.			
05.			
06.			

### पुनर्मूल्यांकन हेतु विषय

कुल विषयों की संख्या.....  
प्रति विषय रु. 500/- की दर से 500 X =.....  
कुल राशि -.....  
बैंक ड्राफ्ट क्रमांक.....  
बैंक का नाम .....

### पत्र व्यवहार हेतु पता

नाम .....

पिता/पालक का नाम .....

ग्राम/नगर .....

पो0आ0.....तह0.....

जिला .....छ0ग0

पिन कोड नं.-.....

आवेदक का हस्ताक्षर

### घोषणा पत्र

मैं .....घोषणा करता/करती हूँ की मैंने उरोक्तानुसार विषयों में पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। मुझे इस बात का पूर्ण संज्ञान है, कि पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् मेरे अंको में कमी भी आ सकती है, तदनुसार पुनर्मूल्यांकन पश्चात् विषयों के अंको में कमी/वृद्धि अप्रभावित होने की जैसी भी स्थिति बनेगी वह मुझे स्वीकार्य होगी। इस हेतु मैं अपनी मूल अंकसूची आवेदन के साथ संलग्न कर रहा/रही हूँ।

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

( कृपया आवश्यक निर्देश हेतु पृष्ठ भाग का अवलोकन करें। )

## अत्यंत महत्वपूर्ण निर्देश

### कृपया निम्न निर्देशों को पढ़ने एवं भली-भांति समझने के उपरांत ही आवेदन पत्र भरें

1. अभ्यर्थी जिन विषयों के पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन कराना चाहते हैं, केवल उन्हीं विषयों के नाम एवं प्राप्तांक संबंधित कालम में अंकित किया जावे।
2. अभ्यर्थी को पुनर्गणना / पुनर्मूल्यांकन के आवेदन पत्र के साथ मूल अंकसूची जमा करना अनिवार्य है।
3. पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन उपरांत अंको में कमी/वृद्धि मान्य किया जावेगा। परीक्षार्थी को यह स्वीकार करना होगा। इस संबंध में अपना घोषणा पत्र भी देना होगा।
4. पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन/छायाप्रति के आवेदन पत्र मण्डल मुख्यालय रायपुर, एवं जिला मुख्यालय के समन्वय संस्था में निःशुल्क प्राप्त किये जा सकेंगे।
5. भरे हुए आवेदन पत्र मण्डल मुख्यालय रायपुर एवं जिला मुख्यालय के समन्वय संस्था में निर्धारित शुल्क के साथ जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ दिये गये घोषणा पत्र की पूर्ति अनिवार्य रूप से करें।
6. पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन के परिणाम संबंधित छात्र को पंजीकृत डाक द्वारा छात्र के द्वारा निर्दिष्ट निवास के पते पर प्रेषित किया जायेगा।
7. निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जा सकेगा।
8. अपूर्ण या बिना शुल्क अथवा अपूर्ण जानकारी के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप अंको में परिवर्तन होने पर संशोधित नई अंकसूची संस्था प्राचार्य को भेजी जावेगी।
10. यदि आपको पूरक की पात्रता है तो पूरक का आवेदन पत्र सर्वप्रथम भर कर निर्देशानुसार जमा करें। पूरक का आवेदन पत्र भरने हेतु (अंको के सत्यापन) पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन के परिणाम का इंतजार न किया जाय।
11. पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन सभी विषयों में कराया जा सकेगा।
12. पुनर्मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप पूर्व अंको में 10 प्रतिशत या अधिक अंको में वृद्धि होती है तो केवल, पुनर्मूल्यांकन के लिए ली गई शुल्क रु. प्रति विषय 500/- परीक्षार्थी को वापस की जावेगी।

सचिव

छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल  
रायपुर